संख्या-73/2021/2155/ई-2/तेरह-2021- 379778

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारीअनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक :: 02 नवम्बर, 2021**

विषय:- **मेसर्स अवध शुगर एण्ड एनर्जी लिहारा आसवनी यूनिट स्यो ., स्योहारा, जनपद बिजनौर को शीरे के अतिरिक्त केन जूस सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने/ के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी65/दो-प्रा.डी.-26, दिनांक 25-10-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 25-10-2021 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स अवध शुगर एण्ड एनर्जी लि. यूनिट स्योहारा आसवनी, स्योहारा, जनपद बिजनौरको शीरे के अतिरिक्त केन जूस/ सीरप से एथनॉल का उत्पादन किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इकाईको शासनादेश दिनांक 23-02-2021 में उल्लिखित प्राविधानों तथा आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 10-09-2021 द्वारा गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से सीधे एथनॉल/ अल्कोहल उत्पादन करने हेतु निर्गत अनापत्तिपत्र में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन करते हुए निम्नलिखित शर्तो का भी अनुपालन सुनिश्चितकरना होगा:-

(1) आसवक द्वारा केन जूस/सीरप से एथनॉल का निर्माण किये जाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से शीरे के साथ-साथ केन जूस /शुगर सीरप से भी एथनॉल निर्माण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाएगा।

(2) भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सम्बन्धित समस्त आवश्यक पर्यावरणीय व अन्य सांविधिक शर्तें।

(3) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए अल्कोहल उत्पादन का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**उमेश कुमार तिवारी**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in